

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

सं०सं०-01/स्था० (राज०)-32/2014 <sup>4942</sup> /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, जमुई के आदेश ज्ञापांक-1290 दिनांक-30.08.18 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री राम निरंजन चौधरी, वरीय उप समाहर्ता, जमुई को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(भरत झा)

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन  
-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (राज०)-32/2014 <sup>4942</sup> /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- <sup>14/09/18</sup>

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जमुई/श्री राम निरंजन चौधरी, वरीय उप समाहर्ता, जमुई/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, <sup>my</sup> नगरपालिका प्रशासन  
-सह-विशेष सचिव।